न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
40/2023	08.06.2023	9.12.2023

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा राज0
उनवान

1— रेवड़ी बाई पत्नी हंसराज जाति भील
2— देवेन्द्र पुत्र हंसराज ना0बा0 जरिये वलीया माता रेवड़ी बाई जाति भील निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

यह कि ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 759/240 की 0.49 हेक्टर भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2077—2080 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति मोडिया पुत्र गेंदीलाल भील निवासी हरिपुरा के नाम दर्ज है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादनी नं0 1 के पति व वादी नं0 2 के पिता का नाम हंसराज आत्मज गेंदिया जी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में हंसराज के स्थान पर मोडिया अंकित है। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जो उनको उनके पति व पिता से प्राप्त हुई है।

यह कि वादीगण के पति व पिता हंसराज उर्फ मोडिया की मृत्यु दिनांक 26.10.2019 को गयी है। ओर वादीगण ही हंसराज उर्फ मोडिया के एक मात्र वारिसान है। वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है।

यह कि वादनी अपने पति हंसराज उर्फ मोडिया का इंतकाल खुलवाने पटवार हल्का व तहसीलदार साहब के पास तो उन्होने बताया कि राजस्व रिकार्ड में उसके पति का नाम मोडिया दर्ज है ओर हंसराज दर्ज नही है इस कारण उन्होने वादीगण के पक्ष में इंतकाल

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा (राज.)

से मना कर दिया। जबकि वादीगण के पति व पिता का नाम हंसराज है ओर हंसराज नाम से आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि में हंसराज ही नाम अंकित है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति व पिता का नाम मोडिया के स्थान पर हंसराज दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना व उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादीगण ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 13.03.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 759/240 की 0.49 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति व पिता का नाम मोडिया के स्थान पर मोडिया उर्फ हंसराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। साथ ही साथ हंसराज की मृत्यु हो जाने से उनके खाते की उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2077–2080 ग्राम हरिपुरा, खाता सं0 138
2– आधार कार्ड हंसराज
3– पहचान पत्र निर्वाचन आयोग
4– शपथ पत्र
5– आधार कार्ड रेवडी बाई
6– मृत्यु प्रमाण पत्र
7– कार्यालय ग्राम पंचायत निमोदा (हरिजी) का सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 15.03.2023

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी अनुसार मोडिया पुत्र गेंदीलाल को हंसराज पुत्र गेंदीलाल के नाम से भी जानते है तथा मोडिया एवं हंसराज एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः भोडिया पुत्र गेंदीलाल के स्थान पर हंसराज पुत्र गेंदीलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंम का शपथ प्रस्तुत है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की .हस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादीगण के पति एवं पिता का नाम मोडिया नाम गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादीगण के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मोडिया पुत्र गेंदीलाल के स्थान पर हंसराज पुत्र गेंदीलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 138 में खसरा नम्बर 759/240 रकबा 0.49 हेक्टर, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति व पिता का नाम मोडिया पुत्र गेंदीलाल के स्थान पर हंसराज पुत्र गेंदीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति	तालुका विधिक सेवा समिति	तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)	दीगोद जिला कोटा (राज.)	दीगोद. कोटा (राज.)